निग.पंचा. मु.।. 23/2017
RCMS 2017/00036

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्याः 23/2017 दिनांक 28.01.2020

विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणकरणसर जिला बीकानेर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रविन्द्र कुमार पुत्र. श्री फकीरचन्द तातेड़ जाति तातेड़ निवासी निवासी वार्ड नं. 21 तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर
2. ग्राम पंचायत लूणकरणसर जरिये सरपंच रफीक मालावत

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थितिः–

1– श्री संदीप स्वामी – अभिभाषक निगरानीकर्ता
2– अप्रार्थीपक्ष अनुपस्थित ।

आदेश

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा जारी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 80, पट्टा बही संख्या 208 दिनांक 10.09.2014 किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने के सन्दर्भ में इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नोटिस स्थानीय अखबार राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 17.12.2019 को प्रकाशित करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही इकतरफा की गई एवं इस मामले से संबंधित मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर प्रार्थी पक्ष की मामले के गुणाववगुण पर बहस सुनी गई।

3. निगरानीकर्ता प्रार्थी की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में लूणकरणसर में पट्टा, पट्टा संख्या 80 पट्टा बही संख्या 208 दिनांक 10.09. 2014 को जरिये संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.08.2014 को कुल तादादी 262.59 वर्गमीटर का जारी किया गया। उक्त पट्टा, पट्टा बही संख्या 208 पर दर्ज है। तत्पश्चात् अनेक शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए माननीय जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश संख्या सीबी–2015/7166–70 दिनांक 23.03.2015 के क्रम में ग्राम पंचायत लूणकरणसर के तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा पट्टे बनाने में बरती गई अनियमितता की जांच हेतु एक जांच कमेटी गठित की गई जिस कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गये पट्टों में अनेक अनियमिता पाये जाने पर पट्टो को निरस्त करने की अनुशंषा की गई है। उक्त पट्टों में उक्त पट्टा संख्या 80 पट्टा बही संख्या 208 में पंचायत राज अधिनियम 1993 के नियम 157(2) के प्रावधानों का

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियम विरूद्ध तरीके से जारीशुदा उक्त पट्टा संख्या 80, पट्टा बही संख्या 208 दिनांक 10.09.2014 से व्यथित होकर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो उक्त विधि विरूद्ध तरीके से जारीशुदा गलत होने से काबिले खारिज है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत लूणकरणसर अप्रार्थी संख्या 2 ने सांठ–गांठ कर विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 80 दिनांक 10.09.2014 को नियम 157(2) के तहत जारी कर नियमितीकरण कर दिया। जबकि उक्त भूखण्डो को पंचायत राज नियम 156 के प्रावधानुसार विक्रय किया जाना उचित था लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नियम 157(1) के तहत उक्त पट्टा जारी किया गया। इस नियम के अनुसार पुराने कब्जे व पूर्व में निर्मित मकान के संबंध में ही पट्टे जारी किये जा सकते है। लेकिन उक्त पट्टा की भूमि पर मात्र चार दीवारी निर्मित होने के आधार पर भी उक्त पट्टा जारी कर नियमों की घोर अवहेलना की गई। गृहों के स्थान पर मात्र चारदीवारी निर्मित पाई गई तथा अधिकतम सीमा 300 वर्गगज से कम उक्त पट्टा बही में पट्टा को पंचायत राज नियम 156 के प्रावधानों के अनुसार विक्रित किया जाना था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(1) के तहत जारी किये गये। जिसे निरस्त कराने का निगरानीकर्ता को अधिकार है। उक्त पट्टा नियम विरूद्ध तरीके से फर्जी तरीके से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम नियमों, उपनियमों का उल्लंघन कर नियम विरूद्ध तरीके से जारी किया गया। जिसे निरस्त कराने का निगरानीकर्ता को अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत लूणकरणसर ने विरूद्ध तरीके से नियम को ताक पर रख कर उक्त पट्टा जारी किया गया है जो पट्टा पूर्ण रूप से नियम विरूद्ध तरीके से नीलामी की प्रक्रिया का दुरूपयोग करके अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत में किसी प्रकार से कोई मिटिंग नहीं बुलाई ना ही किसी प्रकार का कोई कोरम ही पूरा था ना ही किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित हुआ। उक्त पट्टा नियम कायदों की खुली अवहेलना कर मनमाने ढंग से दिया गया नियमों के आज्ञापक प्रावधानों का पंचायती राज अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का, नियमों, उपनियमों, उपविधियों का उल्लंघन कर पट्टा अप्रार्थी को दिया गया। प्रार्थी को उक्त पट्टा को जारी करने में बरती गई अनियमिता के बारे में जांच कमेटी द्वारा जांच करने के बाद प्रस्तुत की गई अन्तिम रिपोर्ट से जानकारी हुई। जिस पर निगरानी प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति दिनांक 2.2.17 को प्रार्थी को प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति की दिनांक से निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारीशुदा पट्टा संख्या 80, पट्टा बही संख्या 208 दिनांक 10.09.2014 को निरस्त फरमाने का आदेश फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया व इस मामले से संबंधित मूल रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत निगरानी अप्रार्थी संख्या 1 को पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत 30 वर्ष पुराना कब्जा मानते हुवे विनिमितीकरण कर पट्टा संख्या 80 दिनांक 10.09.2014 जारी किया है। जिसकी शिकायत होने पर जांच कमेटी जिसमें उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर/ विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणकरणसर तथा नायब तहसीलदार लूणकरणसर के द्वारा संयुक्त रूप से जांच कर इस पट्टे को सरपंच द्वारा नियम विरूद्ध जारी किया जाना पाया है। जिसके आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति, लूणकरणसर के द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पट्टे की मूल पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसमें सन् 1979 की एनओसी का अंकन किया है जबकि वर्ष का कॉलम रिक्त है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए तीन पंचों की एक कमेटी गठित की। शपथ पत्र स्वयं प्रार्थी एवं भंवरलाल पुत्र फकीरचन्द का प्राप्त किया गया जिसमें कब्जा पिछले कई वर्षो से होना अंकित किया। इसके अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर राशन कार्ड दिनांक 06.10.2004 एवं कनिष्ट अभियंता जन.स्वा.अभि.विभाग लूणकरणसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 23.12.2013 एवं बंटवारानामा दिनांक 14. 09.12की प्रति प्रस्तुत की है। इन दस्तावेजी साक्ष्य से अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा विनियमितीकरण स्थल पर 30 वर्षो से होना प्रमाणित नहीं होता। साथ ही विनिमित किया गया क्षेत्रफल 262.59 वर्गमीटर है जो कि पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) में वर्णित अधिकतम सीमा 300 वर्गगज से अधिक होने से नियमों के विपरीत है।

5. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि इस मामले में तत्कालीन सरंपच व सचिव ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतया उल्लंघन कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह खारिज योग्य है । लिहाजा प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, पट्टा क्रम संख्या 80 बुक संख्या 208 दिनांक 10.09.2014 निरस्त किया जाता है ।

6. निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ए.एच.गौरी)
अतिरिक्त कलक्टर, बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर